प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल – ग्राम पंचायत 22 PTD B

बापली देवी उर्फ सन्तोष देवी बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 125,136 एल.आर.ए.
प्र.सं. 67 / 2022 जीसीएमएस आईडी : 2022 / 197

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
02.06.2023	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत 22 पीटीडी बी में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 1840 दिनांक 18.04.2023 प्राप्त हुई। वकील वादी को सुना गया वकील वादी दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि चक 24 पीटीडी के खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 12 व 15 की कुल 1.785है. कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि विरास्तन बंटवारा में प्राप्त होकर वादी की खातेदारी हैं। वादीया का शादी से पूर्व पीहर में नाम बापली देवी था उसी अनुरूप विरास्तन में प्राप्त भूमि संबंधी दस्तावेजों में नाम दर्ज हैं। मगर वादीया के समाज में शादी के बाद ससुरालवाले लडकी का नाम परिवर्तनल कर दूसरा नाम रखने की पथ प्रचलित हैं। जिस अनुसार वादीया का शादी के बाद नाम सन्तोष देवी रख दिया, और वादीया को उक्त नाम से भी जाना पहचाना जाने लगा। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर बापली देवी के स्थान पर बापली देवी उर्फ सन्तोष देवी दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण धारा 88 आरटीएक्ट के तहत किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष से संबंधित न होकर मात्र रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित हैं। अतः प्रकरण 136 एलआरएक्ट की हद तक विचारण योग्य हैं। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 1840 दिनांक 18.04.2023 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चक 24 पीटीडी के इ.सं. 184 विरास्त के द्वारा प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में बापली देवी पुत्री देवाराम दर्ज हुआ है जो वर्तमान जमाबंदी में भी बापली देवी दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत 22 पीटीडी बी प्रार्थीया बापली देवी का ससुराल का नाम संतोष देवी हैं। प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम संतोष देवी दर्ज हैं। बापली देवी व संतोष देवी एक ही व्यक्ति के दो नाम है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में बापली देवी उर्फ संतोष देवी किया जाना उचित हैं। अतः उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर वाद पत्र 136 एलआरएक्ट की हद तक स्वीकार किया जाता हैं तथा राजस्व रिकार्ड चक चक 24 पीटीडी के खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 12 व 15 की कुल 1.785है. कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के खातेदार के नाम बापली देवी पुत्री देवाराम के स्थान पर बापली देवी उर्फ सन्तोष देवी पुत्री देवाराम दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	696 5/6/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.23 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested